...लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

... संख्या :–87 / 2019 दायर दिनांक: 15.07.2019

...S NO:- 2019/00407

...सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।

–वादी–

बनाम

1. अयोध्या बाई पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
2. रामभरोसी पुत्री प्रहलाद पत्नी जमनालाल जाति मीणा हाल निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोक।
3. कन्हैयालाल पुत्र सूजा जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज हाल निवासी खुरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
4. गिर्राज पुत्र सुजा जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
5. कमलेश पुत्र सुजा जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
6. जगदीशी पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
7. छोटू पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
8. कीमत पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
9. धर्मराज पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
10. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादीगण के अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया
2. प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री संजय लवानिया

निर्णय दिनांक 19.07.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार हल्का बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी में जमाबंदी खाता संख्या 65 सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 221 रकबा 10–10 बीघा, खसरा संख्या 264 रकबा 05–10 बीघा एवं खसरा संख्या 406 रकबा 00–07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 16–07 बीघा स्थित है। यह कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार हल्का बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी में जमाबंदी खा... 70 ...074 से 2077 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 224 रकबा 01–19 बीघा भूमि स्थित है। यह ... की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 रामभरोसी ... के पति स्व0 प्रहलाद आ0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं (बून्दी)

Scanned with CamScanner

व प्रतिवादी संख्या 3 कन्हैंयालाल व स्व0 नटी बेवा सूजा जाति मीणा के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी के पिता स्व0 प्रहलाद का हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 कन्हैयालाल व उसकी माता स्व0 नटी बेवा सूजा का हिस्सा 2/16 दर्ज है। पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि भी वादी के स्व0 पिता प्रहलाद के ही तन्हा खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की है। यह कि वादी के पिता प्रहलाद का स्वर्गवास दिनांक 08/02/2019 को हो गया है तथा इनके केवल दो संताने वादी स्वंय व प्रतिवादी संख्या 2 रामभरोसी पैदा हुये है। यह कि वादी व प्रविादी संख्या 2 की माता स्व0 अयोध्या बाई, प्रतिवादी संख्या 1 आज से करीब 35 वर्ष पूर्व ही वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बाल्यावस्था में पिता व दादी के पास छोडकर अन्यत्र चली गयी थी जिसे वादी के पिता प्रहलाद ने काफी तलाश किया था परन्तु कई वर्षों तक तलाश करने पर भी वह कहीं नहीं मिली इसलिए निराश होकर उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित होने की आशा छोड दी थी। यह कि वादी व प्रविादी संख्या 1 लगायत 9 मीणा जाति के है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए वाद–पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि का मृतक खातेदार प्रहलाद का एक मात्र अधिकारी वादी पुत्र होने से है। वादी ने पटवारी व कानूनगो से अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम नामान्तकरण खोलकर तस्दीक करने, राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये और कहा कि तुम्हारी माता के नाम भी इन्तकाल खोलेंगे। यह वाद का कारण है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का अपने पिता स्व0 प्रहलाद के स्थान पर स्वयं को 14/16 हिस्से का सहखातेदार आसामी और चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का अकेला खातेदार आसामी घोषित करवायें, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवायें। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी संख्या 65, नकल जमाबंदी संख्या 70, नकल खसरा गिरदावरी, मृत्यु प्रमाण पत्र, असल पंचनामा, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र और शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 ने इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद मुताबिक याचना डिक्री फरमायी जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज, बयान वादी एवं गवाहान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। पंचनामा प्रदर्श 9 एवं ग्राम पंचयात बालापुरा के प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 का अवलोकन किया। प्रतिवादिया संख्या 1 अयोध्या बाई के सम्बन्ध में जीवित होने का कोई प्रमाण या सूचना नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम रघुनाथगंज पटवार हल्का बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी में जमाबंदी खाता संख्या 65 सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 221 रकबा 10–10 बीघा, खसरा संख्या 264 रकबा 05–10 बीघा एवं खसरा संख्या 406 रकबा 00–07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 16–07 बीघा भूमि का मृतक सहखातेदार प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर 14/16 हिस्से का सहखातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा जमाबंदी खाता संख्या 70 सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 224 रकबा 01–19 बीघा भूमि का अकेले वादी को तन्हा खातेदार आसामी घोषित किया जाता है । तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार नियमानुसार राजस्व भू–अभिलेखों में इन्द्राज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner